क्रम संख्या– 237 (ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०,
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 4 अगस्त, 2010

श्रावण 13, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

संख्या जी–2-245/दस-2010–502-85

लखनऊ, 04 अगस्त, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–52

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 13 का संशोधन

2–सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में नियम 13 में उपनियम (2) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान खण्ड (सात) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(सात) अभिदाता के उपयोग के लिए मोटर साईकिल, स्कूटर, (जिसके अंतर्गत मोपेड भी है), साईकिल, रेफ्रिजरेटर, रूम कूलर, कुकिंग गैस कनेक्शन या टेलीविजन सेट की लागत के व्यय की पूर्ति पर	(सात) अभिदाता के स्वयं के उपयोग के लिए मोटर साईकिल, स्कूटर, (जिसके अंतर्गत मोपेड भी है), साईकिल, रेफ्रिजरेटर, रूम कूलर, कुकिंग गैस कनेक्शन, टेलीविजन सेट या निजी कम्प्यूटर की लागत के व्यय की पूर्ति पर :

आज्ञा से,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-2-245/X-2010-502-85 dated August 04, 2010 :

No. G-2-245/X-2010-502-85
Dated Lucknow, August 04, 2010

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.

THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) (AMENDMENT) RULES, 2010

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 13

2. In the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985, in rule 13, in sub-rule (2), for existing clause (vii) setout in column 1 below, the clause as setout in column 2 shall be *substituted*, namely :–

Column-1 *Existing clause*	Column-2 *Clause as hereby substituted*
(vii) Meeting the cost of a motor cycle, scooter (including moped) bicycle refrigerator, room cooler, cooking gas connection or television set for subscriber's own use :	(vii) Meeting the cost of a motor cycle, scooter (including moped) bicycle, refrigerator, room cooler, cooking gas connection, television set or personal computer for subscriber's own use :

By order,
ANOOP MISHRA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 501 राजपत्र (हि०)–2010–(1100)–597+2–(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 80 सा० वित्त–2010–(1,101)–10,000–(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।